राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :लेखा/बैठक/2011/ 4051 दिनांक : 24.10.11

सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 14–10–2011 का कार्यवाही विवरण

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अधीनस्थ कार्यालय, संयुक्त निदेशक जोन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों /लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 14–10–2011 को वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की गयी।

उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है जिन स0ले0अ0 ने बैठक में भाग नहीं लिया उनको कारण बताओं नोटिस वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण) द्वारा जारी किया जावेंगा। बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिये गये :–

क्र. सं.	बिन्दु जिस पर चर्चा हुई	निर्णय लिया गया	अनुपालना जिसके द्वारा की जानी है
1.	बकाया दावों का तीन माह में निस्तारण	वित्त विभाग द्वारा बजट घोषणा के क्रम में चालू वित्त वर्ष में बकाया दायित्वों (दावों) को अभियान चलाया जाकर तीन माहों (16/08/2011 से 15/11/11 तक) में निपटाया जाना है। बकाया दावों को निपटाने बाबत मासिक प्रगति की समीक्षा की गयी। विभाग में बकाया दावे निपटाने का कार्य संतोषजनक नही है परन्तु फिर भी कुछ कार्यालयों की प्रगति नगण्य है ऐसे समस्त कार्यालयों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि वे आगामी 15 दिवस में बकाया दावों का पूर्णरूपेण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। जिन जिला मु0 चि0 एवं स्वा0 अधि0 कार्यालयों द्वारा कोई दावे बकाया नहीं दर्शाया गया है वे भी Nill की सूचना भिजवावे। इस संदर्भ में जिन कार्यालयों को बजट की आवश्यकता थी उनको बैठक समाप्ति पर वांछित बजट आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रस्थान करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात् भी यदि किसी मद में बकाया दावों को निपटाने हेतु पर्याप्त बजट का आवंटन नहीं हुआ है तो सम्बन्धित कार्यालय की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्तिशः बजट अनुभाग में सम्पर्क कर बजट आवंटन करवाना सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यअधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
2.	महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनायें एवं ड्राफ्ट पैरा	महालेखाकार प्रतिवेदनों से सम्बन्धित बकाया प्रथम अनुपालनाओं की सूची पूर्व बैठक में सभी सहायक लेखाधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी थी, सूची में दर्शायी गयी अनुपालनाओं में अब भी प्रथम अनुपालना बकाया हो तो ऐसी समस्त बकाया अनुपालनायें दिनांक 24/10/2011 तक निदेशालय में भिजवायी जानी सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त और भी अनुपालनायें बकाया हो तो वह भी प्रेषित करावें। उल्लेखनीय है कि जनलेखा समिति के निर्देशानुसार पूर्व में बकाया रही 192 प्रथम अनुपालनाओं के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। जिन प्रकरणों में ड्राफ्ट पैराज बनाये गये है के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करते हुये उत्तरदायी से वसूली की जानी सुनिश्चित की जावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
3.	बकाया ओ.बी. आईटम्स की पालना भिजवाने बाबत	जिन कार्यालयों ने ओ.बी. आईटम्स की अभी तक अनुपालनायें नही भिजवायी गयी है। पूर्व बैठक में बकाया ओ.बी. आईटम्स की सूची सभी को उपलब्ध करवायी गयी थे के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि इन ओ.बी. आईटम्स की अनुपालनाएं दिनांक 18.10.2011 तक ए0.जी. को भिजवाते हुये एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
4.	अनुपयोगी सामग्री एवं नकारा वाहनों का निस्तारण अभियान	शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक लेखा /अनु.वा./वि. अभि./सा.पत्रा./2011/3182–3291 दिनांक 15.09.11 जिसकी प्रति पूर्व बैठक में समस्त सहा. लेखाधिकारियो को उपलब्ध करवाई गयी है की पालना में एवं वित्त विभाग के परिपत्र 11/2011 दिनांक 24.06.11 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 तक के लिये प्राप्त वित्तीय शक्तियों में शिथिलता के अनुसरण में विभाग के अनुपयोगी सामग्री/नकारा वाहनों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन

		एवं जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित तिथियों में अपेक्षित कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें। जिन कार्यालयों में सर्वे आदि की कार्यवाही पूर्ण हो गई है वहां नियमानुसार निलामी कार्यक्रम निर्धारित कर सूचित किया जावे। जोन के समस्त सहायक लेखाधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके क्षेत्र के समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों से अनुपयोगी सामानों एवं नाकारा वाहनों की सूची प्राप्त कर भिजवाये। सुविधा के लिये निदेशक निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों का अवलोकन भी करे तथा सुनिश्चित करे कि समस्त अनुपयोगी सामान/वाहन का समय पर निस्तारण हो जाये।	
5.	निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम की क्रियान्विति	दिनांक 2 अक्टूबर 2011 से सम्पूर्ण प्रदेश में निशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम लागू किया जा चुका है इस सम्बन्ध में अलग से विभिन्न कार्यो हेतु बजट/विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके है, जिसकी प्रभावी क्रियान्विति करवाने में सभी सहायक लेखाधिकारी सहयोग करें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन
6.	जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने बाबत।	महालेखाकार/आंतरिक जांच/निरीक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें आगामी बैठक दिनांक 18/11/2011 में साथ लेकर आवें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन
7.	मासिक व्यय मानचित्र	1. सितम्बर, 2011 तक के बकाया व्यय मानचित्र 18.10.11 तक आवश्यक रूप से विशेष वाहक के साथ भिजवाये जाये। भविष्य में आगामी माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से भिजवायें। 2. देव नारायण योजना के व्यय विवरण पत्र प्रत्येक माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप फैक्स द्वारा भिजवायें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन
8.	चोरी/गबन के मामले	गत बैठकों में दिये गये निर्देशों के क्रम में चोरी/गबन के मामलों को शीघ्र वसूली एवं अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करा समस्त लम्बित गबन/चोरी प्रकरणों की केसवार नवीनतम बिन्दुवार सूचना जिन कार्यालयों द्वारा अभी तक नहीं भिजवायी गयी है। निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन
9.	स्टॉक एवं स्टोर लेखे दिनांक 31/03/2011	भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र तथा स्टॉक एवं स्टोर लेखे जोन कार्यालय स्तर पर समेकित कर निदेशालय में भिजवाये। कुछ जोन कार्यालयों से भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं स्टोर लेखे (31/3/2011 तक) अभी तक अप्राप्त है अतः बकाया प्रमाण-पत्र एवं लेखे दिनांक 31/10/2011 तक वाहक स्तर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यह अति आवश्यक है जिनके द्वारा प्रेषित नहीं किये जावेगें उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन
10.	आय व्ययक अनुमान 2012-13 एवं संशोधित अनुमान 2011-12	जिन कार्यालयों के आय व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 एवं संशोधित अनुमान 2011-12 अभी तक नहीं भिजवाये उन्हें दिनांक 18.10.2011 तक निदेशालय में व्यक्तिशः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं साथ ही भिजवाये जाने वाले बजट प्रस्तावों को ऑन लाइन भी कराने के निर्देश दिये गये।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन
11	आगामी मीटिंग में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों के लेखाकार उपस्थित होने बाबत्।	समस्त स.ले.अधिकारियों के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक दिनांक 18.11.11 में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत समस्त लेखाकारों /लेखाकर्मियों को बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित किया जावे। उक्त सम्बन्ध में आगामी बैठक में उक्तानुसार प्रत्येक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से एक लेखाकार/लेखाकार्मिक निम्नांकित सूचनाओं के साथ उपस्थित होगें। I. उनके यहां लम्बित बकाया दावे के निस्तारण की नवीनत स्थिति। II. एजी/निरीक्षण विभाग/आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनायें। III. उनके चिकित्सालय में अनिस्तारित अनुपयोगी सामग्री/नकारा वाहनों की सूची मय समस्त विवरणों के। IV लम्बित चोरी, गबन के प्रकरणों की निर्धारित प्रपत्र में केसवार नवीनतम सूचना।	समस्त लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

12	प्रपत्र 1 से 8 तक की सूचना	माह अक्टूबर, 2011 तक की प्रपत्र 1 से 8 तक की सूचना ज़ोन स्तर पर समेकित कर आगामी बैठक दिनांक 18/11/11 में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
13	जनलेखा समिति के निर्णय की क्रियान्विति करने बाबत्।	जनलेखा समिति वर्ष 2005–06 की बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में निदेशक निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों पर निम्नांकितानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावें। I. जिन कार्यालयों द्वारा स्टोर वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स की अनुपालनाये नही भिजवायी गयी है उनसे ठोस अनुपालनाएं तैयार करा आगामी बैठक में साथ लावें। II. जिन आक्षेपों में स्टोर सामग्री में कमी (Shortage) होने से वसूली दर्शायी गयी है, सम्बन्धित से वसूली करा राशि राजकोष में जमा करावें अथवा सामग्री की उपलब्धता होने पर लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां करा पालना करावें। III. जिन आक्षेपों में स्टोर सामग्री अधिशेष (Surplus) दर्शायी गयी है, ऐसी सामग्री को नियमानुसार लेखा पुस्तिकाओं में लिया जाकर पालना करावें। IV जिन आक्षेपों में अनुपयोगी सामग्री/नकारा वाहन अनिस्तारित दर्शाये गये है नियमानुसार निस्तारण करा पालना करावें। V उक्त अनुपालनाये अब तक प्रस्तुत नहीं करने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण करा, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव निदेशालय में भिजवाये जावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
14	वर्ष 2008–09 तक आवंटित बजट से अधिक व्यय सम्बन्धी मामलें।	विभाग के विभिन्न बकाया जांच प्रतिवेदनों (महालेखाकार/निरीक्षण विभाग/आन्तरिक जांच) में आवंटित बजट से अधिक का व्यय करने के सम्बन्ध में आक्षेप गठित होना पाये गये हैं। उक्त सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 तक की जनलेखा समिति की बैठक हो चुकी है जिसमें 2008–09 के व्यय को नियमित किया जा चुका है। अतः ऐसे समस्त बकाया आक्षेपों के सम्बन्ध में उक्तानुसार अनुपालनाएं तैयार करा निरस्तीकरण हेतु भिजवायी जावें। परन्तु अनियमित क्रय के प्रकरण इसमें सम्मिलित नहीं होगें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
15	नवीन मदों के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्।	समस्त सहायक लेखाधिकारियों द्वारा प्रत्येक कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर की कमी बतायी गयी, जिससे मोनेटरिंग कार्यों को गति नही दी जा पा रही है। अतः समस्त संयुक्त निदेशक कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों को अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर के नवीन मद में प्रस्ताव दिनांक 18.10.2011 तक भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन

बैठक मे दिये गये उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें। अवहेलना पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होगें।

आगामी बैठक दिनांक 18–11–2011 को आयोजित की जावेगी। बैठक का वरिष्ठ लेखाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक :लेखा/बैठक/2011/4051 दिनांक : 24.10.11

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. अति0 निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। कृपया बैठक कार्यवाही विवरण के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही होना सुनिश्चित करावें।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी। कृपया बैठक कार्यवाही विवरण के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही होना सुनिश्चित करावें।
6. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आरएचएसडीपी/मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार कयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आईईसी मुख्यालय।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
10. डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
11. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन....................
12. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ...
13. सहायक लेखाधिकारी बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार मुख्यालय जयपुर।
14. प्रभारी सर्वर रूम (मुख्यालय) कृपया इस कार्यवाही विवरण को विभाग की वेब–साईट पर अपलोड़ करने का श्रम करे।
15. केयर टेकर, कृपया दिनांक 18/11/2011 को प्रातः 11:00 बजे से हॉल आरक्षित करें।
16. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर